प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत लोकपाल का चयन/नवीनीकरण एवं लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के चयन/नवीनीकरण हेतु दिनांक 28 जनवरी 2026 को आहूत लोकपाल चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत लोकपाल का चयन/नवीनीकरण एवं लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के चयन/नवीनीकरण हेतु दिनांक 28 जनवरी 2026 को लोकपाल चयन समिति की बैठक आहूत की गई जिसका कार्यवृत्त निम्नवत् है-

1. **लोकपाल कार्यकाल नवीनीकरण :** लोकपाल चयन दिशा-निर्देश के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 2.2.9 के अधीन जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रेषित कार्य निष्पादन मूल्यांकन को चयन समिति के समक्ष रखा गया। चयन समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर जनपद अल्मोड़ा, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में कार्यरत लोकपालों के कार्यकाल में एक वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

जनपद रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में कार्यरत लोकपालों का प्रथम कार्यकाल विस्तार पूर्व में किया जा चुका है। लोकपाल चयन दिशा-निर्देश के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 2.2.9 के अनुसार लोकपाल का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। द्वितीय कार्यकाल विस्तार हेतु समिति के समक्ष कार्यनिष्पादन आख्या प्रस्तुत की गयी। चयन समिति द्वारा दोनों जनपदों के लोकपाल का द्वितीय कार्यकाल विस्तार एक वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रथम एवं द्वितीय कार्यकाल विस्तार का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	जनपद	लोकपाल का नाम	मूल नियुक्ति की तिथि	प्रथम नवीनीकरण की तिथि	कार्यकाल विस्तार प्रभावी होने की तिथि	
1	अल्मोड़ा	श्रीमती सरोजनी जोशी	01.06.2023		01.06.2025	(प्रथम कार्यकाल विस्तार)
2	चम्पावत	श्री भुवन चन्द्र जोशी	06.04.2023		06.04.2025	(प्रथम कार्यकाल विस्तार)
3	पिथौरागढ़	श्री जगदीश कलौनी	24.05.2023		24.05.2025	(प्रथम कार्यकाल विस्तार)
4	रुद्रप्रयाग	श्री चण्डी प्रसाद चमोली	23.09.2022	23.09.2024	23.09.2025	(द्वितीय कार्यकाल विस्तार)
5	उत्तरकाशी	श्री मान सिंह राणा	26.09.2022	26.09.2024	26.09.2025	(द्वितीय कार्यकाल विस्तार)

2. **लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्यकाल नवीनीकरण :** लोकपाल चयन दिशा-निर्देश के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 2.2.9 के अधीन अपर सचिव/अधिशासी निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा) द्वारा प्रेषित कार्य निष्पादन मूल्यांकन को चयन समिति के समक्ष रखा गया। चयन समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के कार्यकाल में प्रथम विस्तार एक वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यकाल विस्तार का विवरण निम्नवत् है –

Rajnishor Mishra

क्र० सं०	लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण	सदस्य का नाम	मूल नियुक्ति की तिथि	प्रथम नवीनीकरण की तिथि	कार्यकाल विस्तार प्रभावी होने की तिथि	
1	राज्य स्तर	श्री बुद्धिराम सरियाल	23.05.2023	—	23.05.2025	(प्रथम कार्यकाल विस्तार)

3. **नये लोकपालों का चयन :** प्रदेश के 05 जनपदों (जनपद बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल) में लोकपालों के रिक्त पद के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपस्थित आवेदकों का साक्षात्कार किया गया। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार पैनल तैयार किया गया –

क्र०सं०	जनपद	लोकपाल पैनल हेतु चयनित अभ्यर्थी	चयनित वरीयता
1	बागेश्वर	श्री गंगा गिरी गोस्वामी	प्रथम
		श्री ख्याली दत्त जोशी	द्वितीय
		श्री महेन्द्र सिंह गैड़ा	तृतीय
2	चमोली	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	प्रथम
		श्री नरेश प्रसाद	द्वितीय
		श्री दुर्गा प्रसाद थपलियाल	तृतीय
3	देहरादून	श्री प्रिंस यादव	प्रथम
		श्रीमती माया नेगी रावत	द्वितीय
		सुश्री अंकिता रमोला	तृतीय
4	हरिद्वार	श्री भगवान सिंह नेगी	प्रथम
		सुश्री मोनिका शर्मा	द्वितीय
		श्री पंकज दत्त शर्मा	तृतीय
5	पौड़ी गढ़वाल	श्री गजेसिंह दानू	प्रथम
		श्री रमेश सिंह नेगी	द्वितीय
		श्री आशाराम पन्त	तृतीय

लोकपाल चयन दिशा–निर्देश संख्या 2.2.5 के अनुसार उपरोक्त पैनल दो वर्ष तक विधिमान्य होगा। लोकपाल हेतु चयनित (प्रथम वरीय अभ्यर्थी) व्यक्ति द्वारा योगदान न किये जाने अथवा इस अवधि में अन्य किसी कारण से लोकपाल का पद रिक्त होने की स्थिति में पैनल में द्वितीय वरीयता वाले व्यक्ति को लोकपाल के पद का दायित्व दिया जा सकेगा। इसके लिए चयन समिति की बैठक आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. **लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का चयन :** लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के संशोधित दिशा–निर्देश के पैरा 13.4 के अनुसार उपस्थित आवेदकों का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के आधार पर शिक्षाविद् एवं सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य) की श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया। उपरोक्त दोनों श्रेणियों में वरीयता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है –

क्र०सं०	श्रेणी	लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के चयनित सदस्य	चयनित वरीयता
1	शिक्षाविद्	श्रीमती मिथलेश	प्रथम
		डा० पीयूष कुमार गर्ग	द्वितीय

Rajkishor Mishra

2	सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य)	डा० नवीन चन्द्र जोशी	प्रथम
		श्री पीयूष कुमार गर्ग	द्वितीय
		श्री देव सिंह शाह	तृतीय

लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों में से भी यदि प्रथम वरीय सदस्य किन्हीं कारणों से योगदान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकपाल चयन दिशा–निर्देश संख्या 2.2.5 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त 05 जनपदों में लोकपाल पैनल एवं राज्य में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में चयनित सदस्यों की सूची विभागीय/राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए 30 दिन के भीतर उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यदि आपत्तियां प्राप्त होती हैं तो आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अथवा 30 दिन की अवधि के पश्चात् सक्षम स्तर से तैनाती आदेश जारी कर दिया जायेगा।

नाम एवं पदनाम	सदस्य/अध्यक्ष	हस्ताक्षर
श्री एल० फैनई प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष, चयन समिति	[signature]
श्री डी०एस० गर्ब्याल सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य संयोजक	[signature]
श्रीमती दीक्षा सुप्याल बिष्ट सहायक आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य	–
श्री राजकिशोर मिश्रा रूपायान, कालाहांडी उड़ीसा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित सिविल सोसाइटी के ख्याति प्राप्त व्यक्ति	सदस्य	–

पत्रांक : 556/8–2/4/एमजीएनआरईजीएस/2022–23 दिनांक 10 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2026

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्रीमती दीक्षा सुप्याल बिष्ट, सहायक आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री राजकिशोर मिश्रा, रूपायान, कालाहांडी उड़ीसा।

Rajkishor Misha. [signature]

[signature]

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव, ग्राम्य विकास